

राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

क्रमांक: प. 14(1)संसद/2022

जयपुर, दिनांक: 13/8/2025

:: परिपत्र ::

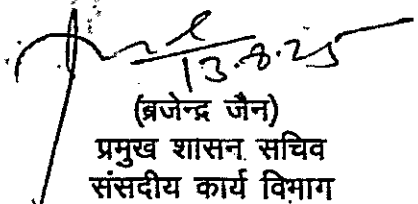
- प्रेषित : 1. समस्त सम्भागीय आयुक्त,
2. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान

विषय :- संसद एवं विधान सभा सदस्यों/भूतपूर्व संसद एवं विधानसभा सदस्यों के निधन की सूचना भिजवाने बाबत।

सौलहवीं राजस्थान विधानसभा का चतुर्थ सत्र दिनांक 01 सितम्बर, 2025 से प्रारम्भ हो रहा है। सत्र के प्रारम्भ एवं सत्र के दौरान वर्तमान एवं पूर्व विधायकों के दिवंगत होने पर सदन द्वारा शोकाभिव्यक्ति व्यक्त की जाती है। संसद एवं विधान सभा के वर्तमान सदस्यों/भूतपूर्व संसद एवं विधानसभा सदस्यों के निधन की सूचना जिला प्रशासन द्वारा तुरन्त न भिजवाये जाने पर सदन व माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा ने गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए इसे गम्भीरता से लेने के निर्देश दिये हैं। अतः समस्त जिला कलेक्टर को विशेषतः यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपने स्तर पर यह सुनिश्चित कर लेवें कि गत सत्र के अनिश्चित काल तक स्थगित होने की दिनांक 24 मार्च, 2025 के पश्चात् दिवंगत माननीय सांसद/पूर्व सांसद/माननीय विधायक/पूर्व विधायकों के निधन की सूचना, यद्यपि पूर्व में उनके स्तर से भिजवा दी गयी हो तब भी, पुनः राजस्थान विधान सभा सचिवालय को भिजवाकर पुष्टि कर लेवें कि निधन संबंधी सूचना राजस्थान विधान सभा सचिवालय में प्राप्त हो गयी है।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि इस विषय को प्राथमिकता देते हुए इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करें कि जिले में दिवंगत माननीय सांसद/पूर्व सांसद/माननीय विधायक/पूर्व विधायक के निधन संबंधी सूचना निर्देश के अनुरूप तत्काल फैक्स द्वारा राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर में भिजवा दिया जावे ताकि सत्र के दौरान दिवंगत आत्मा को सदन द्वारा शोकाभिव्यक्ति व्यक्त की जा सके। सूचना की एक प्रति संसदीय कार्य विभाग को भी पृष्ठांकित कराने का श्रम करावे। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए अन्यथा प्रकरण में सदन के निर्देश के अनुरूप समुचित कार्यवाही हेतु माननीय मुख्य सचिव महोदय के ध्यान में लाया जाएगा।

(राजस्थान विधान सभा सचिवालय का फैक्स नं. 2744333 एवं प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं संसदीय कार्य विभाग का फैक्स नं. 2227916 है)

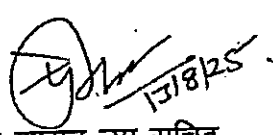

(ब्रजेन्द्र जैन)
प्रमुख शासन सचिव
संसदीय कार्य विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, संसदीय कार्य विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
5. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त दिशा-निर्देश संसदीय कार्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।

रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ शासन उप सचिव